न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
97 / 2022 प्रा.पत्र / 2022	22.11.2022	04.09.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री सीताराम जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कालूराम फूलचन्द घण्टाघर के पास सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक राज0 निवासी जैन मन्दिर के पीछे आदर्श नगर टोंक जिला टोंक राज0। पिनकोड–304001 मोबाईल नं0 9251121285

2–श्री प्रेमचन्द जैन पुत्र श्री बिरधी चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स बिरधी चन्द प्रेमचन्द आरा मशीन के पास बडा कुऑ टोंक राज0। निवासी देवली रोड बडा कुऑ टोंक राज0। पिनकोड–304001

3–श्री ऋषभ जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स ऋषभ एन्टरप्राईजेज सीपी–2, रोड नं0 7, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा राज0। पिनकोड–324001 निवासी 21 रिद्धी सिद्धी एनक्लेव, एक्शोटिका गार्डन के सामने, बून्दी रोड कुन्हाडी, शम्भूपुरा थर्मल कॉलोनी, कोटा राज0। पिनकोड–324008

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–निर्माता फर्म के प्रतिनिधि उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 04/9/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.03.2022 को समय 01:51 पी.एम. पर मैसर्स कालूराम फूलचन्द घण्टाघर के पास सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री सीताराम जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स कालूराम फूलचन्द घण्टाघर के पास सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री सीताराम जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री सीताराम जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री सीताराम जैन की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ के अलग–अलग ब्राण्ड के साथ–साथ

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

वनस्पति श्री गोवर्धन जी ब्राण्ड (Vanspati Shree Goverdhan Ji Brand) 449–449 ग्रम के 11 मूल पैक दुकान की रैक में वास्ते आम जनता को विक्रय के दुकान रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री सीताराम जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री सीताराम जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि **वनस्पति श्री गोवर्धन जी ब्राण्ड (Vanspati Shree Goverdhan Ji Brand)** दुकान में रखे हुए 11 मूल पैक 449–449 ग्राम मूल पैक **श्री गोवर्धन जी ब्राण्ड (Vanspati Shree Goverdhan Ji Brand)** में से 449–449 ग्राम के 4 पैक वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **वनस्पति श्री गोवर्धन जी ब्राण्ड (Vanspati Shree Goverdhan Ji Brand)** 449–449 ग्राम के 4 पैक कुल 1796 ग्राम को बराबर–बराबर (एक भाग 449 ग्राम) को ज्यों का त्यों खाकी कागज में लपेटकर, नियमानुसार चार भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3158 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3158 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री सीताराम जैन मैसर्स कालूराम फूलचन्द घण्टाघर के पास सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स बिरधी चन्द प्रेमचन्द आरा मशीन के पास बडा कुऑ टोंक का एवं मैसर्स बिरधी चन्द प्रेमचन्द आरा मशीन के पास बडा कुऑ टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स ऋषभ एन्टरप्राईजेज सीपी–2, रोड नं0 7, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा राज0 का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/1034 दिनांक 11.05.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0एस0/1571/एक्ट/2022/1557 दिनांक 25.04.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **वनस्पति श्री गोवर्धन जी ब्राण्ड**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(Vanspati Shree Goverdhan Ji Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **वनस्पति श्री गोवर्धन जी ब्राण्ड (Vanspati Shree Goverdhan Ji Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने निर्माता फर्म के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **वनस्पति श्री गोवर्धन जी ब्राण्ड (Vanspati Shree Goverdhan Ji Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है, अतः अप्रार्थी सं0 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं0 3 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 3 पर कुल शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/9/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0